भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 681

दिनांकः 22 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

दलहन व्यापारियों को निर्यात राजसहायता

681. डा. एल. हनुमंतय्याः

श्री राजमणि पटेलः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दालों की निम्न घरेलू कीमत को देखते हुए, देश में दलहन व्यापारियों को निर्यात राजसहायता देने का इरादा है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे कि आयातित दालों की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य के सममूल्य पर अथवा इससे अधिक रहे;

(ग) क्या सरकार का तूर और उड़द की दालों की अपनी मुक्त आयात नीति की समीक्षा करने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): इस समय दाल के व्यापारियों को निर्यात सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): सरकार दालों की आयात नीति को आयातित भण्डारों की ऊतराई लागत सहित घरेलू उत्पादन, उपलब्धता और मूल्यों की स्थिति की बारोकी से लगातार निगरानी के आधार पर तैयार करती है।

(ग) और (घ): सरकार ने तूर और उड़द के आयात को उत्पादन, उपलब्धता, मूल्यों और बाजार की स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद 31 मार्च, 2023 तक 'मुक्त' श्रेणी में रखा है ताकि देश भर में सभी उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्यों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए घरेलू किसानों को हितों की सुरक्षा की जा सके।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा करने संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति समय–समय पर घरेलू उत्पादन और मांग की समीक्षा कर रही है तथा आयात के विनियमन सहित समुचित उपचारात्मक उपाय कर रही है।

***